कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः फा. 15(1)सविरा/नियम/दुग्ध उपनियम/86 पार्ट–2 दिनांक 5/5/2014

अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार
सहकारी समितियॉं,
..........................खण्ड

विषयः– जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के आदर्श उपनियम।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य के जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हए सभी संबंधित जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के उपनियमों को उक्तानुसारं संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉं, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त पंजीयक (उद्योग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0, जयपुर।
6. उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियॉं, (समस्त)
7. उप/सहायक पंजीयक (डेयरी), जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 (समस्त)
8. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड पत्रावली।

उप रजिस्ट्रार (नियम)

जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के प्रस्तावित उपनियम संशोधन

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
14.4	नियमों के अधीन वर्ष के लेखे तैयार करने के लिये निश्चित तारीख की समाप्ति के तीन माह के अन्दर अपने सदस्यों की एक साधारण सभा अवश्य होगी जो वार्षिक आम सभा कहलाएगी।	**नियमो के अधीन वार्षिक लेखे तैयार करने, ऑडिटर की नियुक्ति करने एवं आदेश सम्पन्न कराने के लिये 30 सितम्बर तक साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यका होगा जो वार्षिक आम सभा कहलाएगी।**
16.1(5)	**वार्षिक आम सभा** रजिस्ट्रार से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट तथा उसकी आक्षेप पूर्ति प्रतिवेदन पर विचार करना।	**नया जोड़ा गया।** **(i) सोसाइटी की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु साधारण निकाय अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल मे से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना।** **(ii) सोसाइटी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।**
19.1(1)	**संचालक मण्डल** सम्बद्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अध्यक्षों में से 11 सदस्य निर्वाचित होंगे जिनमें से 7 साधारण प्रतिनिधि, 1 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग व 1 महिला होगी। यदि किसी भी प्रकार के किसी भी कारण से, पूर्वोक्त वर्गो के सदस्य किसी भी सोसाइटी की समिति में पूर्वोक्त सीमा तक निर्वाचित नहीं होते है या उनमें कोई रिक्ति हो जाती है तों पूर्वोक्त वर्गो के किसी सदस्य की कमी या रिक्ति, ऐसी सोसाइटी की समिति में पूर्वोक्त वर्गो के सदस्यों में से सहवरण द्वारा पूरी की या, यथास्थिति, भरी जाऐगी।	**संचालक मण्डल** **संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे। संचालक मण्डल के संचालक मण्डल का चुनाव राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 34 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा कराये जावेंगे।** **संघ का मुख्य कार्यपालक अधिकारी संघ व उसके पदाधिकारियों का निर्वाचन का संचालन करने के लिए, विध्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के छःमाह पूर्व लिखित सूचना अधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संघ के संचालक मण्डल में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।**
19.1(4)	एक प्रतिनिधि एन.डी.डी.बी. का।	विलोपित
19.1(7)	संचालक मण्डल में साधारण सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों की उनके कार्यकाल में मृत्यु या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्तियां सहवरण के द्वारा भरी जावेंगी। ऐसा सहवरित सदस्य अपना पद उस सदस्य के जिसके स्थान पर वह चुना गया है, के शेष बचे हुए समय तक योग्यता सम्बन्धी शर्तो की अधीनता में रहते हुए, धारण करेगा।	**संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी।**
21.2(6)	**संचालक मण्डल की शक्तियाँ, उत्तर दायित्व तथा कार्य** आडिट मीमों पर विचार करना तथा उसकी पूर्ति रिपोर्ट पठाना।	**संचालक मण्डल की शक्तियाँ, उत्तर दायित्व तथा कार्य** **आडिटर द्वारा प्रेषित ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट तैयार करना तथा आम सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।**
32.	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। संघ, प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के छःमाह के भीतर–भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थात:– **(क) अपनी कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट** **(ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण** **(ग) अधिशेष के व्ययन के लिये योजना, जो संघ के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो** **(घ) संघ की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची** **(ङ) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे मे घोषणा और** (च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय–समय पर अपेक्षा करे।

51